द्वारा फैक्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–।

संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0सीधी भर्ती–2011)2015 दिनांकःजुलाई 4 ,2015

सेवा में,

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

विषयः– उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर पीएसी संयुक्त परीक्षा–2011 के अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सा परीक्षण बोर्ड का गठन।

....

कृपया अवगत कराना हैं कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर पीएसी संयुक्त परीक्षा–2011 में मुख्य लिखित परीक्षा एवं सामूहिक परिसंवाद की प्रकिया समाप्त करने के पश्चात उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा बोर्ड की बेवसाइट पर परिणाम को प्रकाशित किया गया है। इस परिणाम में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र) जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिनका गृह जनपद एक परिक्षेत्र (मण्डल) में हो, से अपेक्षा की जायेगी की वह मण्डल मुख्यालय के जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय पर गठित बोर्ड से चिकित्सा परीक्षण करायें। चिकित्सा परीक्षण किस प्रकार होगा इसके लिए अलग से विस्तृत निर्देश शीघ्र निर्गत किये जायेगें।

2– निर्देशानुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि आज ही मण्डल मुख्यालय के मुख्य चिकित्साधिकारी से जिला चिकित्सालय पर चिकित्सा बोर्ड गठित करने के लिए अनुरोध कर लें। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण हेतु जो चिकित्सा बोर्ड गठित किया जाय, उसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य हो। यह भी आवश्यक है कि उपरोक्तानुसार गठित किये जाने वाले बोर्ड में एक महिला चिकित्सक भी अवश्य हो।

3– इसके साथ ही भर्ती बोर्ड से अभिलेख प्राप्त करने एवं चिकित्सा परीक्षण कराने हेतु परिक्षेत्र स्तर पर एक अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाय।

4– उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा बोर्ड का गठन कराकर एवं नोडल अधिकारी को नामित कर तीन दिवस में इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करा दें।

4/7

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–

1–अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2–सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ।
3–समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन उत्तर प्रदेश को समय से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु
4–पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को निर्देशित करने की कृपा करें।